राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–एफ. 3(212)नविवि/3/2011 दिनांकः– 13 SEP 2011

आदेश

राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम, 31 एवं राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नांकित प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करते हुए भवन निर्माण अवधि बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान करती है :–

1. राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम, 17 (6)(b) के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में भवन निर्माण नही करने की स्थिति में भूखण्ड आवंटन स्वतः निरस्त हो जाता है। किन्तु यदि आवंटी द्वारा आरक्षित दर की 5 प्रतिशत राशि जमा करवाई जाती है तो भूखण्ड पुनः बहाल किया जा सकता है।

इसी प्रकार राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम, 17 (6)(c) के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन के 2 वर्ष की अवधि में भवन निर्माण नही करवाने की स्थिति में भूखण्ड आवंटन स्वतः निरस्त हो जाता है। किन्तु उक्त भूखण्ड को पुनः बहाल करने के संबंध में प्रावधान उपलब्ध नही है।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि जिन योजनाओं में भूखण्ड आवंटित किये जाते है, उन योजनाओं में आधारभूत सुविधाओं का विकास कार्य यथा सड़क निर्माण, जल वितरण एवं विद्युत वितरण व्यवस्था वर्षो तक उपलब्ध नही करवायी गयी है। इस कारण आवंटी द्वारा आधारभूत सुविधाओं के अभाव में निवास किया जाना संभव नहीं होता है व नियमों में निर्धारित अवधि में कार्य नही करवाने के कारण भूखण्ड स्वतः निरस्त हो जाने के कारण ऐसे आवंटियों के साथ कठोर व्यवहार किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार न्यायोचित नही है।

अतः राज्य सरकार राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17 (6)(b) व राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17 (6)(c) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में भवन निर्माण नही किये जाने के कारण स्वतः निरस्त भूखण्ड को दिनांक 31.3.2012 तक, बहाल कर निर्धारित राशि वसूल करने की स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही उपरोक्त नियम, 1974 के नियम 17 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु निर्धारित अवधि की गणना हेतु भूखण्ड का कब्जा सुपुर्द करने की दिनांक अथवा योजना के जिस सेक्टर में आवंटित भूखण्ड स्थित है, उसमें सड़क, पेय जल एवं विद्युत वितरण व्यवस्था संबंधी विकास कार्य करवाने की दिनांक में से, जो भी बाद की दिनांक है को, भूखण्ड स्वतः निरस्त करने की दिनांक माने जाने की स्वीकृति प्रदान करती है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नही खोला जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह सन्धु)
प्रमुख शासन सचिव